



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या:- 813/बी.एफ.टी./10/13-14

दिनांक.....

सेवा में,

श्री विकास जैन

पुत्र श्री सत्यनारायण जैन

निवासी- 17- गौपाल कुंज, बाईपास रोड, आगरा।

आगरा।

महोदय/महोदया,

खसरा संख्या-174पी,177पी,178पी,179पी,180पी, मौजा बसई मुस्त0 चुंगी बाहर, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी गति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा का निस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

8. शर्तों के अन्तर्गत जारी होने के उपरांत ही रेन वाटर हार्नेस्टिंग संलग्न: स्वीकृति मानचित्र हेतु जमा धनराशी प्रयोज्य की जायेगी। भवदीय

9. स्ट्रक्चरल डिजाइन Competent Authority से वेत करवाने के उपरांत ही स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.....तद दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्रावधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
परमिट फार्म (भाग-2)

परमिट संख्या:- 813/बी.एफ.टी/10/13-14

दिनांक.....

06.1.15

सेवा में,

श्री/श्रीमती, विकास जैन

पुत्र श्री सत्य नारायण जैन

निवासी- 17- गौपाल कुंज, बाईपास रोड़, आगरा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

- (क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजायन के अनुसार ही होगा।
- (ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (1) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवेदन किया जाएगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के जो डिजाइन अनुमोदित की गई हैं, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- (2) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियाँ सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट कोस सैण्ड एवं गार्टर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग के के उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- (3) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। क्रेता/आवांटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजायन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।
 - (1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - (2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
 - (3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - (4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त बर्किंग डिजायन जिसमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - (5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।
 - (6) साइट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 - (7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
- (ड) मुख्य अग्नि-मन अधिकारी तथा पी0डब्ल्यू0डी0, नगर निगम, नजूल एवं अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.....तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि भामन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०..... दिनांक..... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित कराये।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा